न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 107/2020 जिला सीकर ।

1. किशन पुत्र अर्जुन
2. रामवीर पुत्र अर्जुन
3. रामोतार पुत्र अर्जुन
4. हजारी पुत्र अर्जुन
5. करणा पुत्र मंगला
6. गंगा पत्नि सुवा
7. मदन पुत्र सुवा
8. लिलू पुत्र सुवा
9. नारायण पुत्र मंगला
10. झाबरमल पुत्र परसा
11. बीरबल पुत्र परसा
12. बलदेव पुत्र परसा
13. रामनिवास पुत्र परसा
14. कैलाश पुत्र परसा
15. बंशी पुत्र सुवा
16. मुक्तीलाल पुत्र भागीरथ
17. विनोद पुत्र भागीरथ
18. पूरण पुत्र भागीरथ समस्त जाति बलाई
    निवासी भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 11.02.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल ।

निर्णय

दिनांक –24.11.2020

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 255, 259 एवं 263 मे से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/ जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व 16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53/राजस्व/2016 दिनांक 2.11.2016 द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम भगेगा से भगोट जाने वाले रास्ते हेतु बिना पक्षकारो की सुनवाई किए खसरा नम्बर 255, 259, 263 में से नया रास्ता कायम करते हुये गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये।

2. उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की आज्ञा प्रदान करने के आदेश प्रदान किये की प्रार्थना की।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम भगेगा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 255, 259 में अपीलांटस काबिज खातेदार है। उनका कहना है कि गैर मुमकिन रास्ते के संबंध में जो प्रकिया अपनाई गई उस संबंध में पटवारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांटस को कोई कानूनी नोटिस नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही विवादित भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता कायम करने का आदेश दिनांक 11.02.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 255, 257, 260, व 261 के दक्षिणी ओर रास्ता मौजूद है एवं आबादी में रहने वाले व्यक्ति उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। इसी प्रकार जो रास्ता खसरा नम्बर 262 व 262 के उत्तर में 309 बताया गया है उस पर मोरम डली है लेकिन 263 के आगे कोई रास्ता नही है। खसरा नम्बर 255 व 259 के उत्तरी और कोई रास्ता नही है बल्की उक्त उत्तरी और के खातेदार का खसरा नम्बर 263 के पूर्वी और मध्य में मकान बना है व खसरा नम्बर 309 में होकर आबादी खसरा नम्बर 565 में जाता है। प्रार्थीयान की भूमि में कोई रास्ता नही रहा है। लेकिन खसरा नम्बर 309 की आड में जिस प्रकार 255, 259 व 263 में रास्ता बताया है वह मौके के विपरित है तथा कोई रास्ता नही है। मौके पर फसल खडी है एवं पूर्व में भी फसल मौके पर रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नक्शे में आराजी खसरा नम्बर 255, 259 एवं 263 में से होकर रास्ता जाना तथा मौके पर कई वर्षो से चालू होना बताया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान में से कोई रास्ता नही है । इसके बावजूद तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए खसरा नं. 255, 259 में से फिर एक नया रास्ता कायम करने की विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.02.2017 का है लेकिन अपीलांट विधिक अज्ञानता के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 24.08.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रार्थना पत्र धारा 5 भी स्वीकार फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम भगेगा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 255, 259 एवं 263 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना ने रिपोर्ट पटवारी हल्का भगेगा दिनांक 24.1.2017 के साथ रिपोर्ट पटवारी, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित की थी जिस पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.2. 2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।
6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.01.2017 के अनुसार ग्राम भगेगा से भगोट जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 255, 259, 263 मे से होकर राजस्व नक्शे में अंकित गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 309 में जाकर मिलता है। पत्रावली के अवालेकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांटस खातेदार की बिना सुनवाई किए आदेश पारित किया हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 निरस्त कर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इस निर्देशित के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24-11-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर